Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to ensure peace in BTC areas in Assam - Laid

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): मैं अपने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र कोकराझार के एक बहुत ही जरूरी मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। भारत का संविधान संशोधित कर 6 वीं अनुसूची के तहत 2003 मे बीटीसी का गठन किया गया था।

लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि बीटीसी गठन होने के बाद भी हत्या, संघर्ष और धन वसूली व्यापक रूप से जारी रही। इसमें कई राजनीतिक नेताओं के शामिल होने की भी शिकायतें आई थी। लोगों का मानना है बीटीसी में हज़ारों की संख्या में अवैध ए.के-47 और अवैध ऑटोमेटिक पिस्तौल मौजूद हैं। पिछले दो महीने में 7-8 से ज्यादा ए.के.- 47 बरामद हुई हैं, इन अवैध हथियारों से ही हिसंक वारदातें अंजाम दी जाती हैं। इसलिए हमारा , बीटीसी और असम के संगठनों और आम जनता की यही मांग है कि जब तक यह अवैध हथियार बीटीसी से रिकवरी नहीं होंगे तब तक यह सिलसिला खत्म नहीं होगा । यहाँ मैं यह बताना चाहूंगा कि पहली मई 2014 को कोकराझार जिले के बालापारा और बाकसा जिले के खगरीबारी (एनके), नरसिंगबारी में नरसंहार हुआ था जिसमें 49 लोगों की जानें गयी थीं । 24 जुलाई, 2014 को छात्र नेता मनोज दास की हत्या हुई थी । बालाजान तिनिआली में 5 अगस्त, 2016को 16 लोगों को मार दिया गया था, वहीं 23 दिसम्बर को 80 से ज्यादा बेगुनाह आदिवासी लोगों को जान से मार दिया गया । अन्य और लफिकुल इस्लाम को 1 अगस्त, 2017 को गोली से मार दिया गया ।

इसलिए मैं भारत सरकार और असम सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन अवैध हथियारों को जब्त करें और बीटीसी के लोगों की सुरक्षा और स्थाई तौर पर शान्ति सुनिश्चित करें ।